न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 14/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
रामलाल पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी रोल तहसील जायल जिला नागौर।		तहसीलदार, जायल।

उपस्थिति :–
1. श्री नरेन्द्र सारस्वत अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक:30.12.2019

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, जायल द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 388/2016 सरकार बनाम रामलाल में निर्णय दिनांक 26.07.16 के तहत मौजा रोल के खसरा नं. 1136 रकबा 3 बीघा गै.मु. मगरा भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 02.01.17 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 19.01.17 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार जायल के प्रकरण सं. 388/16 सरकार बनाम रामलाल मे पारित निर्णय दिनांक 26.07.16 की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपील पेश करने के दस दिन पूर्व ही पटवारी हल्का ने अपीलांट को बताया कि अपीलांट का ग्राम रोल के खसरा नं. 1136 की 3 बीघा भूमि गै.मु. मगरा पर कब्जा है तथा इस कब्जे को हटाने का निर्णय तहसील जायल से हो चुका है। इसलिये अपीलांट 15 दिवस मे कब्जा छोड दे। तब अपीलांट तहसील जायल गया तथा अपीलाधीन निर्णय की जानकारी कराई तब अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी हुई। इससे पहले अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नही थी। जानकारी से अपील अंदर मियाद प्रस्तुत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अपीलाधीन निर्णय अवैध, अनाधिकृत, विधिविरूद्व, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत तथा बिना क्षेत्राधिकार के होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को किसी प्रकार का नोटिस नही दिया गया न ही अपीलांट को जवाब, साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने व सुनवाई का अवसर ही अपीलांट को दिया गया। सारी कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने से अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(III)–खसरा सं. 1136 के चिपते ही अपीलांट के खातेदारी की भूमि खसरा सं. 1134 आयी हुई है। अपीलांट का कब्जा पिछले पचास से भी ज्यादा सालो से इस भूमि पर निरंतर बिना किसी रोक टोक के चला आ रहा है जो खसरा सं. 1134 के साथ ही चला आ रहा है। अपीलांट इस भूमि पर खसरा सं. 1134 की भूमि का हिस्सा समझकर इस पर काबिज रहा है। इस प्रकार प्रथमतः अपीलांट का खसरा सं. 1136 की भूमि पर कब्जा नही होकर खसरा सं. 1134 की भूमि पर कब्जा है और यदि खसरा सं. 1136 की भूमि पर अपीलांट का कब्जा है तो पिछले 50 सालो से इस भूमि पर अपीलांट का शांतिपूर्वक लगातार कब्जा चला

अपर कलक्टर, नागौर

रहते आने से अपीलांट इस भूमि का नियमन/आंवटन अपने नाम कराने का अधिकारी है। अपीलांट राजस्थान का मूल निवासी है तथा भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी मे आता है। खसरा सं. 1136 की भूमि की किस्म गै.मु. मगरा होने से अपीलांट के नाम नियमन मे किसी प्रकार की कानूनी व विधिक बाधा नही थी मगर इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने मे तहसीलदार जायल ने कानूनी गलती की है।

{2}(IV)–दिनांक 26.07.16 की आर्डरशीट पर अपीलांट के फर्जी हस्ताक्षर है। अपीलांट 26.7.16 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित ही नही हुआ था इसलिये उसके द्वारा 26.7.16 की आर्डरशीट पर हस्ताक्षर करने का प्रश्न ही नही उठता। यह सब तहसील कार्यालय के किसी कर्मचारी द्वारा किया गया है। यह कर्मचारी यही तक नही रूका। उसने 27.7.16 की तारीख मे अपीलांट के नाम का जवाब तैयार कर अपीलांट के फर्जी हस्ताक्षर कर जवाब को शामिल मिसल कराया है। अपीलांट ने कभी भी अपना जवाब प्रस्तुत नही किया न कब्जा छोडने को लिख कर दिया। जब 26.07.16 को निर्णय कर दिया गया था। तब 27.7.16 को अपीलांट द्वारा जवाब प्रस्तुत करने का प्रश्न ही नही उठता। इस प्रकार संपूर्ण कार्यवाही फर्जी तरीके से की गई है।

{2}(V)–अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित करने मे कानूनी गलती की है। पटवारी ने अपनी रिपोर्ट के समर्थन मे अपने बयान तक नही दिये। बिना बयानो के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित करने मे कानूनी गलती की गई है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा रोल में स्थित गै. मु. मगरा भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके रोल के खसरा नंबर 1136 रकबा 3 बीघा गै.मु. मगरा भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. मगरा है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर